भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3177
उत्तर देने की तारीख : 11.07.2019

अल्पसंख्यक दर्जे वाले संस्थान

3177. श्री मोहम्मद आज़म खांः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अल्पसंख्यक दर्जे वाले शैक्षणिक संस्थानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त वित्तीय सहायता को बढ़ाने या कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री **(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)**

(क): ऐसे 13,555 शैक्षणिक संस्थान हैं जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा 2 जुलाई, 2019 तक अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया है। देश में संस्थानों को राज्य–वार एवं वर्ष–वार अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ): स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने (एसपीईएमएम) के लिए एक अम्ब्रेला योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें दो योजनाएं हैं नामतः मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई)। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अधीन 2014–15 से आगे 16 राज्यों अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम ने लाभ लिया है। एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई के अधीन वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां अनुलग्नक–I और II पर हैं।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं/एससी/एसटी के लिए आवासीय कोचिंग अकादमियों की स्थापना के लिए 2017–18 के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया को 85 लाख रु0 और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को 65 लाख रु0 की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, नामतः एएमयू और जेएमआई जहां अधिकांश छात्राएं अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। गत तीन वर्षों के दौरान वेतन, आवर्ती एवं पूंजीगत परिसंपत्तियां शीर्ष के अधीन एएमयू, अलीगढ़ को 3,01,040.81 लाख रु0 और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली को 1,00,206.29 लाख रु0 का अनुदान जारी किया गया है।

*****

अनुलग्नक– **I**

एमपीक्यूईएम के अधीन वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां दर्शाते हुए विवरण

(लाख रु0 में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			2018-19		
		मदरसों की संख्या	राशि	अध्यापकों की संख्या	मदरसों की संख्या	राशि	अध्यापकों की संख्या	मदरसों की संख्या	राशि	अध्यापकों की संख्या	मदरसों की संख्या	राशि	अध्यापकों की संख्या	मदरसों की संख्या	राशि	अध्यापकों की संख्या
1	बिहार	80	19.79	67	1127	1543.36	3381	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	छत्तीसगढ़	-	-	-	268	364.11	667	480	684.72	1318	432	649.57	1138	218	209.67	474
3	झारखण्ड	-	-	-	110	204.48	285	-	-	-	110	148.14	285	-	-	-
4	कर्नाटक	45	81.41	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मध्य प्रदेश	1817	1322.7	3082	3288	2532.87	6093	1877	1526.7	3786	1138	846.74	2485	1138	567.123	2485
6	त्रिपुरा	129	145.36	326	258	305.27	655	-	-	-	257	320.50	653	128	147.60	322
7	उत्तर प्रदेश	9217	8585.8	22004	14974	23101.3	37824	6062	8089.1	15107	4039	5543.56	10724	7044	491.444	21126
8	उत्तराखंड	194	324.27	555	481	892.49	1389	287	393.47	758	228	251.02	624	34	51.84	100
9	पश्चिम बंगाल	172	303.61	516	221	461.38	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**11654**	**10783**	**26673**	**20727**	**29405**	**50957**	**8706**	**10694**	**20969**	**4720**	**7759.54**	**12518**	**8562**	**1467.677**	**24507**

अनुलग्नक–II

आईडीएमआई के अधीन वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां दर्शाते हुए विवरण

(लाख रु0 में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		संस्थानों की संख्या	राशि	संस्थानों की संख्या	राशि	संस्थानों की संख्या	राशि	संस्थानों की संख्या	राशि	संस्थानों की संख्या	राशि
1	हरियाणा	6	17.68	-	-	-	-	-	-		
2	कर्नाटक	20	291.51	-	-	2	11.435	-	-		
3	केरल	-	-	6	56.063	1	3.75	131	2804.517	3	31.685
4	मणिपुर	-	-	1	25	-	-	-	-	1	25
5	मध्य प्रदेश	4	32.11	-	-	-	-	-	-		
6	महाराष्ट्र	60	572.34	-	-	-	-	14	60		
7	नागालैंड	-	-	-	-	3	8.625	3	8.625		
8	उत्तराखंड	3	15.02	-	-	-	-	1	7.13		
9	सिक्किम	-	-	4	39.58	7	51.525	7	149.37		
10	मिजोरम	31	205.84	1	4.875	25	129.06	-	-	25	82.39
11	तमिलनाडु	1	4.88	-	-	-	-	-	-		
12	उत्तर प्रदेश	1	5.33	1	5.33	1	20.6	-	-	9	218.25
	कुल	**126**	**1144.7**	**13**	**130.85**	**39**	**225.00**	**156**	**3029.642**	**38**	**357.3275**